



अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी (धनबाद)

वाद संख्या 361 / 2016-17

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
10/8/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज जो मौजा पण्डुवा थाना सं0-275 के गत सर्वे खाता 19 खेसरा-1265 अंश रकबा -1.39 ए0 से संबन्धित है एवं गैर आबाद खाते की भूमि है, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- <u>21/8/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	 10/8/2020 अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।
21/8/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुचीबद्ध है। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज द्वारा पुर्व में निर्गत नोटिस के आलोक मे एक आवेदन-पत्र के साथ अतिक्रमण वाद सं0-833/63-64 की अपठनीय की छायाप्रति के साथ पुर्व में निर्गत एक लगान रसीद का अस्पष्ट छायाप्रति जो दिनांक 1962 को निर्गत है दाखिल किया गया था, जमाबन्दी धारक के वंशज द्वारा एक लगान रसीद के अलावा अन्य कोई लगान रसीद दाखिल नहीं किया गया है। दावा के समर्थन में अन्य कोई निबन्धित दस्तावेज, M फार्म समर्पित नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित चेक-लिस्ट का गहनतापूर्वक जाँच कर स्पष्ट मन्तव्य की माँग करे। अभिलेख दिनांक- <u>15/12/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	 21/8/2020 अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।
15/12/2020 28/11/2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय संकल्प सं0-6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी रद्ध करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-पाण्डुवा थाना सं0-275 के खाता-19 के खेसरा-1265 रकबा-1.39ए0 भूमि की</p>	

कायम जमाबन्दी सं०-386 सन्दिग्ध प्रतीत होती है। पंजी-2 के प्राधिकार के परिवर्तन कालम में जबरदखल केश न०- 818/63-64 अंकित है। उक्त गैर आबाद खाते की भूमि का दिनांक 1.1.1946 से पूर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-(4H) के तहत जमाबन्दी पंजी-2 में कायम जमाबन्दी सं०-386 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
पूर्वी दुण्डी।

28/11/02
अंचल अधिकारी
पूर्वी दुण्डी।